The Uttar Pradesh State Legal Services Authority hereby publishes the following English translation of notification no. 38/SLSA-104-97, dated September 11, 1997 for general information:

No. 38/SLSA- 104-97

Dated Lucknow, September 11, 1997

In exercise of the powers conferred by Section 29-A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act no. 39 of 1987) the Uttar Pradesh State Legal Services Authority hereby makes the following regulations:

UTTAR PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY (TRANSACTION OF BUSINESS AND OTHER PROVISIONS) REGULATION, 1997

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. 1. These regulations may be called the Uttar Pradesh State Legal Services Authority (Transaction) of Business and other Provisions) Regulations, 1997).

2. They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*.

Definitions

2. In these regulations, unless the context otherwise requires-

a. "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987;

b. "General Authority" mean's the National Legal Services Authority constituted under section 3;

c. "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court;

d. "Court" means a Civil, Criminal or Revenue Court and includes any Tribunal or any other authority consituted under any law for the time being in force to exercise judicial of quasi-judicial functions;

e. "District Authority" means a District Legal Services Authority constituted under Section 9;

उत्तर प्रदेश सरकार

न्याय विभाग

अनुभाग–7

संख्या 38/एस.एल.एस.ए.- 104-97

लखनऊ, 11 सितम्बर, 1997

सा.प.नि.- 97

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 सन् 1987) की धारा 29-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित विनियमावली बनाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार और अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. इस विनियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 से है;

(ख) "केन्द्रीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से है;

(ग) "मुख्य न्यायमूर्ति" का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से है;

(घ) "न्यायालय" का तात्पर्य कोई सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालय से है और इसमें न्यायिक या न्यायिकेतर कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी

f. "Executive Chairman" menas the Executive Chairman of the State Authority;

g. "High Court" means the High Court of the Judicature at Allahabad;

h. "High Court Committee" means the High Court Legal Services Committe Constituted under Section 8-A;

i. "Legal Service" includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any Court or other authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter;

j. "Member-Secretary" menas Member-Secretary of the State Authority;

k. "Member" means a member of the State Authority;

l. "Patron-in-Chief" means the Chief Justice;

m. "Section" mens a section of the Act;

n. "State Authority" means the Uttar Pradesh State Legal Services Authority;

Functions of the State Authority

3. The State Authority shall give effect to the policy and directions of the Central Authority and shall perform all such functions as are specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-section 2 of section 7 and shall also perform all or any of the following functions nemely:-

a. coordinate and monitor the implementation of the directions of the Central Authority through the High Court Committee and District Authorities;

b. organise Lok Adalats including Lok Adalats for High Court cases;

c. carry out schemes and programmes of promoting the cause of legal aid, legal leteracy and other legal Service with the help of, and in coordination with, Govermental agencies; and non-governmental voluntary Social Service institution, Universities and other bodies engaged in the work of promoting the cause of legal Service to the poor;

d. organise and encourage special legal aid, legal advice, legal literacy and other legal services schemes and programmes, in particular, within the areas predominantly

विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण सम्मिलित होगा;

(ङ) "जिला प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से है;

(च) "कार्यपालक अध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष से है;

(छ) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है;

(ज) "उच्च न्यायालय समिति;; का तात्पर्य धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से है;

(झ) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है;

(ञ) "सदस्य सचिव" का तात्पर्य राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव से है;

(ट) "सदस्य" का तात्पर्य राज्य प्राधिकरण के सदस्य से है;

(ठ) "मुख्य संरक्षक" का तात्पर्य मुख्य न्यायमूर्ति से है;

(ड) 'धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ढ) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है।

राज्य प्राधिकरण के कृत्य

3. राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय प्राधिकरण के नीति और निर्देशों को प्रभावी बनाएगा और धारा 7 की उपधारा 2 के खण्ड (क), (ख) और (ग) में यथा विर्निदिष्ट सभी ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा और निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का भी निष्पादन करेगा :-

(क) उच्च न्यायालय समिति और जिला प्राधिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय प्राधिकरण के निर्देशों के क्रियान्वयन का समन्वयन और अनुश्रवण करना;

(ख) किसी न्यायालय जिसमें उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, में लोक अदालतों का आयोजन करना;

(ग) सरकारी और गैर सरकारी स्वैच्छिक सामाजिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों जो कि निर्धन को विधिक सेवा के हेतुक के संवर्धन के कार्य में लगी हुई

inhabited by Scheduled Castes Scheduled Tribes and other weaker sections of the society and also within far-flung areas of the State;

e. carry forward the schemes, programmes of plans legal Aid, legal literacy and other legal services which were in progress or in hand by the Uttar Pradesh State Legal Aid and Advice Board for benefit of the poor and other weaker sections of the society in the field of law;

f. formulate, and undertake preventive and strategic legal aid programmes in coordination with the Government and the High Court towards reducing and discouraging litigation and making certain areas free from litigation;

g. formulate, in consultation with the Central Authority, schemes and programmes as are considered appropriate for providing legal service to the poor and other weaker sections of the society;

h. give appropriate directions to the District Authorities to promote cause of legal service to the poor and other weaker sections of the society and in the matter of securing cooperation from the governmental and non-governmental voluntary social services institution, universities and other bodies engaged in such works;

Meetings of the State Authority

4. 1. The State Authority shall meet once in every three month; provided that the Executive Chairman may convene a meeting of the State Authority whenever any business is to be transacted.

2. A meeting of the State Authority shall ordinarilly be held at Lucknow: however it may be held at such other place within the State, as may be directed by the Patron-in-Chief.

3. Annual General meeting of the State Authority shall be convened ordinarily in the month of April every year or in such other month as may be directed by the Patron-in-chief. Besides other business annual Statement of accounts, annual progress or performance report about the plans, programmes and

है, की सहायता से और के समन्वयन में विधिक सहायता, विधिक साक्षरता और अन्य विधिक सेवा के हेतुक संवर्धन की योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाना;

(घ) विशेष विधिक सहायता, विधिक साक्षरता और अन्य विधिक सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों को आयोजित और प्रोत्साहित करना, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों का प्रमुखता में वास हो और राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी;

(ङ) विधि के क्षेत्र में निर्धन और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हितलाभ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड द्वारा विधिक सहायता, विधिक साक्षरता एवं अन्य विधिक सेवायें जो पहले से चलायी जा रहीं थी या हस्तगत है, उन योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यप्रणालियों को आगे बढ़ाना;

(च) विवादों को घटाने और हतोत्साहित करने हेतु सरकार और उच्च न्यायालय के समन्वयन में निवारक और अनुकूलन विधिक-सहायता-कार्यक्रमों को तैयार करना और उनका उत्तरदायित्व लेना, और कतिपय क्षेत्रों को विवाद से मुक्त रखना;

(छ) केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, ऐसी योजना और कार्यक्रमों को तैयार करना जो निर्धन और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त समझी जाये।

(ज) निर्धन और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विधिक सेवाओं के हेतुक के संवर्धन के लिए और सरकारी और गैर सरकारी स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और ऐसे कार्यों में लगी हुई अन्य निकायों से सहयोग प्राप्त करने के मामलों में जिला प्राधिकरणों को उपयुक्त निर्देश प्रदान करना।

राज्य प्राधिकरण की बैठक

4. 1. राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक करेगा परन्तु कार्यपालक अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण की बैठक कभी भी जब किसी कारबार का संव्यवहार किया जाना हो बुला सकता है;

2. राज्य प्राधिकरण की बैठक साधारणतया लखनऊ में आयोजित की जायेगी, तथापि यह राज्य के भीतर ऐसे अन्य स्थान पर

schemes of the State Authority shall be placed before the State Authority for consideration and apporval.

4. A meeting of the State Authority shall be presided over by the Patron-in-Chief and in his absence by the Executive Chairman.
5. The quorum for a meeting shall be seven members including the Chairman.
6. For every meeting of the State Authority, atleast two weeks notice shall be given to the members to attend the meting: however an emergent meeting may be convened by the Member-Secretary in accordance with the directions of the Executive Chairman on short notice.
7. The State Authority may regulate its own procedure.
8. One or more persons who are engaged or interested in the upliftment of the weaker sections of the society, who are considered suitable by the Executive Chairman, may be invited for any meeting with the approval of the Patron-in-Chief in order to seek their views, co-operation and help such person shall have no right to vote at such meeting.
9. (a) All policy and other important matters shall be brought before the State Authority for its consideration and decision.
   (b) Any specific matter or matters as may be desired or required by the State Authority, generally or otherwise to be placed before it, shall be placed before the State Authority for its consideration and decision.
   c. In respect of emergent matters, the Executive Chairman may exercise the powers and perform the functions and discharge the duties of the State Authority. The Executive Chairman shall, however, place such matters before the State Authority for its information and approval.
10. All the decisions of the State Authority shall be taken by majority of the members present and voting and in case of tie, the person presiding over the meting shall have a second

भी आयोजित की जा सकती है जैसा मुख्य संरक्षक द्वारा निर्देशित किया जाय;

3. राज्य प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक साधारणतया प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में या ऐसे अन्य माह में जैसा मुख्य संरक्षक द्वारा निर्देशित किया जाय अन्य कारबार के अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण के लेखा का वार्षिक विवरण कार्य प्रणालियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में वार्षिक प्रगति या निष्पादन रिपोर्ट राज्य प्राधिकरण के समक्ष विचारण और अनुमोदन के लिए रखा जायेगा;
4. राज्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता मुख्य संरक्षक द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जायेगी;
5. अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए सात सदस्य किसी बैठक की गणपूर्ति होंगे;
6. राज्य प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए कम से कम दो सप्ताह की नोटिस दी जायेगी, तथापि कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार सदस्य-सचिव द्वारा अल्प सूचना पर आपाती बैठक बुलायी जा सकती है;
7. राज्य प्राधिकरण स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।
8. एक या अधिक व्यक्ति जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे हुए या हितबद्ध हो, जो कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा उपयुक्त समझे जायं, उनके विचार, सहयोग और सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्य संरक्षक के अनुमोदन से किसी बैठक के लिए आमन्त्रित किये जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।
9. (क) सभी नीतिगत और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को राज्य प्राधिकरण के समक्ष इसके विचारण और विनिश्चय के लिए लाया जायेगा;
   (ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा, सामान्यतः या अन्यथा उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए वांछित या अपेक्षित किसी विशष्ट मामले या मामलों को राज्य प्राधिकरण के समक्ष इसके विचारण और विनिश्चय के लिए प्रस्तुत किया जायेगा;
   (ग) आपाती मामलों के सम्बन्ध में कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन

or casting vote.

11. It shall be the duty of the Member-Secretary to record or cause to be recorded the minutes of the meting in the register to be maintained for the purpose.

12. The non-official Members shall be entitled to payment of Travelling allowance and Daily allowance in respect of the journeys performed in connection with the work of the State Authority at the rates admissible to a group 'A' Officer of the State Governement.

Maintenance of accounts

5. 1. The Member-Secretary shall have the accounts and other relevant records of the receipts and expenditure to be maintained properly and in accordance with the rules and directions of the Central/State Government and Comptroller and Auditor General of India.

2. The State Authority may require the High Court Committee and District Authorities to maintain proper accounts and other relevant records of the receipts and expenditure and prepare annual statement of accounts for purposes of audit and inspection.

Legal Services

6. Legal Aid, Legal Advice or other Legal Services may with the approval of the Executive Chairman, be provided by the Member-Secretary to any person directly in respect of any matter before any court in Uttar Pradesh.

C.P. Mishra
Member-Secretary
State Legal Services Authority
Lucknow

By Order
N.K. Mehrotra
Pramukh Sachiv, Judicial
Govt. of U.P.
Lucknow

और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। तथापि कार्य-पालक अध्यक्ष ऐसे मामलों को राज्य प्राधिकरण के समक्ष उसकी सूचना और अनुमोदन के लिये रखेगा;

10. राज्य प्राधिकरण के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों को बहूमत द्वारा लिए जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा;

11. सदस्य-सचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बैठक के कार्यवृत्त को, इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में अभिलिखित करें या करवायें;

12. गैर सरकारी सदस्य, राज्य प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में की गई यात्राओं के लिए राज्य सरकार के समूह "क" के अधिकारी की अनुमन्य दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते का भुगतान पाने के हकदार होंगे।

लेखों का अनुरक्षण

5. 1. सदस्य सचिव समुचित रूप से अनुरक्षित की जाने वाली केन्द्र/राज्य सरकार और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के नियमों और निर्देशों के अनुसार प्राप्तियों और व्यय के लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा।

2. राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय समिति, और जिला प्राधिकरणों से प्राप्तियों और व्ययों के समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण की तथा संपरीक्षा और निरीक्षण के प्रयोजन के लिए लेखों के वार्षिक विवरण को तैयार करने की अपेक्षा कर सकता है।

विधिक सेवाएँ

6. कार्यपालक अध्यक्ष के अनुमोदन से उत्तर प्रदेश में किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी मामले के संबंध में सदस्य-सचिव द्वारा सीधे किसी व्यक्ति को विधिक सहायता, विधिक सलाह या अन्य विधिक सेवा प्रदत्त की जा सकती है।

सी.पी. मिश्रा
सदस्य-सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।